राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

दो न्यायाधीश सिविल रिट याचिका संख्या 4741/2022

सुरेश बालकृष्णा जाजरा पुत्र स्व. श्री बल कृष्ण जाजरा, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी बी-3, शक्ति नगर, गली नं. 1, पावटा, सी, जोधपुर-342006।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के माध्यम से, पता कमरा सं. 46, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
2. निदेशक डीजीजीआई जयपुर जोनल यूनिट, सी-62, सरोजिनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
3. अधीक्षक/मूल्यांकक/वरिष्ठ अधिकारी, एडीजी का कार्यालय, डीजीजीआई जयपुर नल यूनिट, सी-62, सरोजिनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री सुधीर सांगल अधिवक्ता, श्री रवि कांत चंडोक अधिवक्ता और श्री मुकेश कुमार अधिवक्ता के साथ

प्रत्यार्थी (गण) की ओर से : श्री सिद्धार्थ रांका, अधिवक्ता

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री मणींद्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

आदेश

रिपोर्टेबल

08/04/2022

सुना गया।

यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जारी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 70 (इसके बाद '2017 के अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत याचिकाकर्ता को जारी समन के अनुसार

व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का निर्देश देने की मांग की गई है।

हालांकि प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को चुनौती नहीं दी गई है, न ही आदेश को किसी भी दुर्भावना का प्रयोग करके जारी करने का आरोप लगाया गया है, वास्तव में, किसी विशेष प्राधिकरण के खिलाफ, चुनौती का आधार यह है कि याचिकाकर्ता 2017 के अधिनियम की धारा 116 के तहत प्रदान किए गए अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का पात्र है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दूसरी दलील यह है कि एफएक्यू के तहत स्पष्टीकरण के मद्देनजर, अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थीगण द्वारा विधिवत विचार किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में, उन्होंने यह कहा कि जब तक यह बिल्कुल अनिवार्य न हो, यह आवश्यक नहीं है कि सभी मामलों में, याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए जोर दिया जाना चाहिए और उसे विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हुए प्रतिनिधि के माध्यम से भी उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है। इस संबंध में **एफएसएम एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (रिट याचिका (एल) संख्या 30974/2021)** के मामले में बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10.01.2022 के आदेश पर निर्भरता रखी गई है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस न्यायालय के ध्यान में यह भी लाया कि जीएसटी अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं और वास्तव में, याचिकाकर्ता के बेटे को तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया के संबंध में पकड़ा गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता की उसे परेशान किए जाने की आशंका बिना किसी आधार के नहीं है।

दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा कानून के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2017 के अधिनियम की धारा 70 के तहत समन जारी किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है, इसलिए 2017 के अधिनियम की धारा 116 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अधिवक्ता ने कहा कि अधिकारियों को कानून के अनुसार अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए माना जाता है और प्राधिकरण के खिलाफ किसी भी विशिष्ट आरोप के अभाव में, जिसने समन जारी किया है, याचिकाकर्ता ऐसी किसी भी राहत का पात्र नहीं है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि याचिकाकर्ता 2017 के अधिनियम की धारा 116 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का पात्र है, कानून में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2017 के अधिनियम की धारा 116 के तहत प्रावधान तब लागू नहीं होंगे जब किसी व्यक्ति को अधिनियम के तहत शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता होती है। यह उपबंधों की भाषा से ही स्पष्ट है जैसा कि इसकी उपधारा (1) में निहित है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "**116.** अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति.- (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का पात्र या अपेक्षित है, अन्यथा जब आवश्यक हो, इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकेगा, अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति दर्ज करा सकेगा;
>
> (2) **XXXXXXX**
>
> (3) **XXXXXXX**
>
> (4) **XXXXXXX**"

इसलिए, इस संबंध में कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

अन्य प्रस्तुतीकरण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) पर आधारित है, जिन्हें याचिका के साथ संलग्न किया गया है। एफएक्यू में यह प्रावधान नहीं है कि कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व के लिए इस तरह के अनुरोध की अनुमति उन मामलों में भी दी जाएगी जो 2017 के अधिनियम की धारा 116 के तहत शामिल नहीं हैं, वह भी प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से, क्योंकि यह कानून के प्रावधानों के खिलाफ होगा।

एफएसएम एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा.) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित निर्भरता तथ्यों के आधार पर अनुचित है क्योंकि उस मामले के तथ्यों पर, न्यायालय ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कुछ सुरक्षात्मक आदेश पारित किया था। सिद्धांततः, हम यह नहीं पाते हैं कि केवल कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने के किसी भी अधिकार के बिना, इस न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को एक परमादेश जारी किया जा सकता है।

अंत में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील है कि भले ही एक मामले में, जहां किसी व्यक्ति को 2017 के अधिनियम की धारा 70 के तहत समन जारी किया गया है, प्राधिकरण सीमित प्रकृति के उसके अनुरोध पर विचार कर सकता है या तो व्यक्तिगत उपस्थिति की तारीख बदलने या व्यक्तिगत विकलांगता के संदर्भ में कुछ राहत देने के लिए, यह संबंधित प्राधिकारी के विचार का विषय है न कि न्यायालय का। यदि किसी अपरिहार्य कारण से वह किसी विशेष तारीख पर उपस्थित होने में असमर्थ है, तो याचिकाकर्ता के लिए प्राधिकरण के समक्ष सीमित प्रकृति के ऐसे आवेदन को पेश करने का विकल्प खुला होगा।

मामले का निपटान करने से पहले, यह न्यायालय **परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह और अन्य (2021) 1 एससीसी 184** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति द्वारा जारी निर्देशों पर ध्यान देते हुए, यह देखेगी कि व्यक्तिगत उपस्थिति और बयान दर्ज करने के लिए 2017 के अधिनियम की धारा 70 के तहत समन जारी करने के मामले में भी, उसमें उल्लिखित कतिपय प्रक्रिया का पालन किया जाना है। 2017 के अधिनियम की धारा 70 के तहत जारी समन के अनुसार याचिकाकर्ता का बयान दर्ज करते समय प्रत्यर्थीगण को इसमें निर्धारित ऐसी सभी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। उपरोक्त निर्णय के पैरा 19 में कहा गया है:

> "**19.** भारत संघ को एक हलफनामा भी दायर करना है जिसमें वह इस न्यायालय को केंद्रीय निरीक्षण निकाय के गठन और कामकाज पर अपडेट करेगा, जिसमें उसका पूरा विवरण दिया जाएगा। इसके अलावा, भारत संघ को निम्नलिखित के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण स्थापित करने का भी निर्देश दिया जाता है:
>
> (i) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)
> (ii) राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए)
> (iii) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
> (iv) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)
> (v) राजस्व आसूचना विभाग (डीआरआई)
> (vi) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ)
> (vii) कोई अन्य एजेंसी जो पूछताछ करती है और जिसके पास गिरफ्तारी की शक्ति है।
>
> चूंकि इनमें से अधिकांश एजेंसियां अपने कार्यालयों में पूछताछ करती हैं, इसलिए सीसीटीवी अनिवार्य रूप से उन सभी कार्यालयों में लगाए जाएंगे जहां इस तरह की पूछताछ की जाती है और आरोपी को हिरासत में लिया

जाता है, जैसा कि एक पुलिस स्टेशन में होता है।'

याचिकाकर्ता के बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संबंध में आरोप इस याचिका का विषय नहीं हो सकता है। हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ऊपर की गई टिप्पणियों के अधीन, हम राहत देने के पक्ष में नहीं हैं, जैसा कि इस याचिका में अनुरोध किया गया है।

तदनुसार, रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

(समीर जैन), **न्यायमूर्ति** **(मणींद्र मोहन श्रीवास्तव)**, **कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश**

MANOJ NARWANI /7

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।